राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2019/ दिनांक :

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सचिवालय, जयपुर (राज0)

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति कमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2019/534-535 दिनांक : 11/9/2019 की हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी के साथ संलग्न कर भेजकर अनुरोध है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत के सभी संस्करणों में अतिशिघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करे।

संलग्न – हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी।

sd/-
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2019/536 दिनांक : 11/9/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –:

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के संबंध में एक प्रेस नोट अति0 निदेशक (प्रशासन) की और से जारी कराने की व्यवस्था करावें।
6. प्रभारी, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र को संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि इनको आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने का श्रम करावें।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रवेश हेतु प्रकाशित की जाने वाली संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
8. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन, ई–277 लालकोठी योजना, जयपुर।
9. सचिव/समन्वयक, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस सोसायटी ऑफ जयपुर, 17 संगम होटल, मोतीलाल अटल रोड, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राज कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, (ई–मित्र), योजना भवन, जयपुर।
11. प्रबंधक, बैक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
12. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2019/ 534 दिनाक : 11/9/19

–:: संक्षिप्त विज्ञप्ति ::–

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स मे प्रवेश के लिए दिनांक **16.09.2019 (प्रातः 10:00 बजे)** से **30.09.2019 (मध्यरात्रि)** तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/योग्यता निम्नानुसार है :-

1.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से अथवा इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा नई स्कीम (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फिजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देय होगी, यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग के योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नही होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषय वर्ग उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा। सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों लिए 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो दोनो परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाऐ ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करे)।
2.	आयु (31.12.2019 को)	दिनांक 31.12.2019 को न्यूनतम 17 वर्ष एव अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एव अधिकतम 34 वर्ष (महिलाओ हेतु) एव अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु नियमित (स्थायी) कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी किन्तु नियमित (स्थायी) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
3.	सीटों की संख्या	कुल सीटो की संख्या/संस्थाओं की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सलिग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
4.	आरक्षण	प्रशिक्षण में आरक्षित वर्गो को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
5.	महिला/पुरूष अभ्यर्थियों की सीटो की संख्या का अनुपात	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलो मे महिला व पुरूष अभ्यर्थियों के प्रवेश/चयन का अनुपात 80:20 होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी एव पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उसी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों से सीटे भरी जावेगी।
6.	पाठ्यक्रम की अवधि	3 वर्ष – जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मे कार्यरत स्थाई कार्मिकों के लिए भी तीन वर्ष निर्धारित है।
7.	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/– रूपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 50,000/– रूपये वार्षिक।
8.	चयन प्रकिया	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाईन काउंसलिग के पश्चात् योग्य पाये गये अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पानुसार इच्छित प्रशिक्षण केन्द्र में रिक्त सीटो पर वरीयतानुसार प्रशिक्षण केन्द्र का आवटन किया जावेगा।
9.	आवेदन शुल्क	सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 200/– रूपये तथा अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को 100/– रूपये की ईमित्र/सीएससी नटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है।

10.	आवेदन पत्र	ऑनलाईन आवेदन पत्र ई–मित्र/सीएससी नेटवर्क पर एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरे जा सकते है।
11.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाइट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2019/535 दिनाक : 11/9/19

–:: विस्तृत विज्ञप्ति ::–

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति)

निदेशालय, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय तथा निजी क्षेत्र मे सचालित नर्सिंग स्कूलो में सत्र 2019–20 हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन वर्ष – जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) मे प्रवेश हेतु योग्य महिला/पुरूष अभ्यर्थियो से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमन्त्रित किये जाते है। ऑनलाईन आवेदन करने की दिनाक **16.09.2019 (प्रातः 10:00 बजे) से 30.09.2019 (मध्यरात्रि)** तक निर्धारित है। सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग, (OBC) अति पिछडा वर्ग (MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी को 200/– रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 100/– रूपये की फीसई–मित्र/रीएसरी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी उक्त शुल्क जमा कराया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन एव प्रवेश की शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

(A.) शैक्षणिक योग्यता :–

1. वर्तमान मे आईएनसी द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप न्यूनतम योग्यता 10+2 होगी।
2. जीव विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमेस्ट्री व बोयलोजी विषयो से उत्तीर्ण) के अभ्यर्थियो को प्रवेश में प्राथमिकता देय होगी।
3. यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नही हो पाते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
4. किसी जाति वर्ग में जीव विज्ञान विषय वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर अन्य विषय वर्ग के उसी वर्ग के अभ्यार्थी प्रवेश के पात्र होंगे। सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग (OBC), अति पिछडा वर्ग (MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियो के लिये 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्ताक अनिवार्य हैं।)

(B.) आयु (31.12.2019 को संदर्भ मानकर गणना की जावेगी।) :–

1. दिनांक 31.12.2019 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषो हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) निर्धारित है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
3. जन्म तिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका/ प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करनी होगी।
4. विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु नियमित (स्थायी) कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी किन्तु नियमित (स्थायी) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5. विभागीय कोटे में प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम)/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 के परिपेक्ष्य में निदेशालय के आदेश कमाक : ई–18/एम/ / 2016/1829 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार अध्ययन अवकाश देय होगा। अन्य कार्मिकों को नियमानुसार उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/असाधारण अवकाश (ई.ओ.एल.) स्वीकृत कराना होगा।

2

(C.) अन्य सामान्य जानकारी :–

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि एव पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप तीन वर्ष – जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए भी तीन वर्ष निर्धारित है। (एएनएम को मिडवाईफरी प्रशिक्षण की छः माह की छूट देय नही है।)
2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा बनाम फिरदोस तरन्नुम में दिनाक 20.01.2006 को पारित निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश कमाक : मान्यता/ईयपू/1045 दिनांक 05.07.2011 एव पत्राक 2042 दिनाक 17.11.2011 के कम मे राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 536 दिनांक

18.07.2014 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दु अलीगढ बोर्ड से सैकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रकिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

3. **अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन होने के पश्चात् प्रशिक्षण केन्द्र में परिवर्तन/स्थानान्तरण नही किया जायेगा।**
4. प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों का चयन 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ग/श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियो को प्रवेश देय होगा।
5. प्रशिक्षण मे चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः राजकीय/निजी नर्सिंग सस्थानों हेतु एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जाकर आरक्षण के वर्गवार राजकीय/निजी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर आवंटन किया जावेगा। **राजकीय नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु 180/– रूपये एवं निजी क्षेत्र में संचालित निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश प्रकिया के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु फीस पेटे 10,000/– रूपये अग्रिम राशि बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है।** जिसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउसलिंग के पूर्व विकल्प पत्र के साथ–साथ विभागीय वैबसाईट पर स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। उसके पश्चात् ही अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग मे प्रवेश देय होगा। इस राशि का समायोजन फीस की राशि में कर दिया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को राजकीय काउंसलिग से राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल आवंटन होने पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नही लेगा/किसी कारणवश प्रशिक्षण केन्द्र को छोड देता है अथवा आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर किसी भी कारणवश अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नही करता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा फीस पेटे जमा **180/– अथवा** 10,000/– रूपये अग्रिम राशि जब्त कर राजकोष में जमा करा दी जावेगी।
7. ऐसे आवेदनकर्ता जिन्होनें जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निजी नर्सिंग स्कूल के लिए अग्रिम फीस पेटे राशि रूपये 10,000/– तथा राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु रूपयें 180/– जमा करवाये गये किन्तु उनके विकल्पानुसार उनका चयन नहीं हुआ हैं, ऐसे अभ्यर्थियो के द्वारा जमा करायी गयी राशि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में लौटायी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ्य होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बेच मे पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तो की पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।
9. सत्र आरम्भ होने का सम्भावित माह अक्टूबर, 2019 है।
10. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी, जो समय–समय पर परिवर्तनीय है।

(D.) काउंसलिंग :–

1. राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित (स्थायी) विभागीय कर्मचारियो को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन किया जावेगा। प्राईवेट फैडरेशन के द्वारा विभागीय कोटे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन नही किया जा सकता।
2. प्रथम ऑनलाईन काउसलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in**/नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रो मे प्रकाशित की जावेगी। इसमें राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स की सूची मय सीटों के उपलब्ध करा दी जावेगी। अभ्यर्थी अपना विकल्प पत्र विभागीय वैबसाईट पर जारी नर्सिंग स्कूल्स की उपलब्ध सूची के आधार पर ऑनलाईन भरकर प्रस्तुत करेगा। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर आरक्षण की श्रेणीवार चार गुणा अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये **मोबाईल न0 पर सूचित कर दिया जायेगा। इस बाबत् अलग से कोई सूचना अभ्यर्थी को नही दी जावेगी।**
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी के ऑनलाईन दिये गये विकल्प के आधार पर किया जावेगा। अभ्यर्थियों को अपनी रूचि/वरीयता के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र ऑनलाईन काउंसलिंग के जरिये ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। तद्नुसार ही अभ्यर्थियो को ऑनलाईन काउसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा।

4. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना संबंधित राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित तिथि .... 2019 के पश्चात् तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नही दी गई या सूचना देने में विलम्ब किया जाता है तो ऐसे राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में अभ्यर्थी आवंटन नही होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटो के लिये राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल का स्वय का दायित्व होगा एवं आगामी काउसलिंग में उस नर्सिंग स्कूल को सम्मिलित नही किया जावेगा।
5. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र/विभाग मे नियमित (स्थायी) कार्मिक होने के निर्धारित प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/शैक्षणिक अंकतालिकाऐ आदि उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही रहेगे और इनका संबधित बोर्ड/ सस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जायेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुए उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। अभ्यार्थी द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों का सत्यापन कराये जाने की जिम्मेदारी सस्था प्रधान की होगी।

(E.) विभागीय सेवारत कर्मचारी :-

राजकीय/निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए राज्य सेवा मे कार्यरत नियमित (स्थायी) विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/शर्ते निम्न प्रकार है :-

1. उच्च अध्ययन करने के इच्छुक कर्मचारियों को विभाग द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
2. योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी भी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करेगे।
3. राज्य सरकार के पत्र कमाक प. 8 (6) चि./ग्रुप-3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार एवं भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी), नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित गाईडलाईन के अनुसार विभागीय कर्मचारी की आयु दिनांक 31.12.2019 को 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। राज्य सरकार के पत्र कमांक प.5 (5) चि.स्वा.-3/93 पार्ट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) के लिए जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. समस्त सयुक्त निदेशक, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ऐसे आवेदनकर्ता का उक्त प्रमाण पत्र/आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदनकर्ता (विभागीय सेवारत कर्मचारी) की उक्त विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक नियमित (स्थायी) कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है।
5. चयनित होने पर विभागीय कर्मचारियो को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 के परिप्रेक्ष्य मे निदेशालय के आदेश क्रमांक : ई-18/एम/2016/1829 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार नियमानुसार अवकाश देय होगा।
6. विभाग में संविदा (Contract)/UTB/समेकित वेतन (Fixed Pay) पर कार्यरत कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
7. विभागीय कर्मचारी को प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन के पश्चात् कार्यमुक्त करने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारी की ही होगी।

(F.) आरक्षण :-

1. जीएनएम प्रशिक्षण हेतु सबंधित अभ्यार्थियो को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
2. राजस्थान राजपत्र दिनांक 24.01.2019 में उल्लेखितानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नोटिफिकेशन दिनाक 23.01.2019 के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण (एक पैर से नि:शक्तता - One Leg) नि:शक्त श्रेणी मे होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम नि:शक्तता होने पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा। नि:शक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।
3. अन्य पिछडा वर्ग (नान क्रिमीलयर) का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिऐ। (सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करे।)
4. राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांरावाडा की सभी सीटे जनजातीय उपयोजना क्षेत्र (TSP) के जनजाति अभ्यर्थियो के लिये आरक्षित है।
5. जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के एसटी-टीएसपी, एससी-टीएसपी को राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के निर्देशानुसार अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातिय अभ्यार्थियों का 45 प्रतिशत तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत आरक्षण होगा तथा अनुसूचित

क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत सीटों पर किसी भी जाति/वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता कम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो। इसके लिए अभ्यर्थियों को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के सक्षम अधिकारी से जारी स्केन कर अपलोड करना होगा।

(नोट :– जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किया जाने वाला परिवर्तन मान्य होगा।)

6. बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलो में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। इसके लिए बारा जिले के सहरिया अभ्यर्थियो को सक्षम स्तर से जारी बारा जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र भी स्केन कर अपलोड करना होगा।
7. राज्य सरकार के पत्र कमांक प.5 (330) चिस्वा./ग्रुप–3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियो (सभी संवर्गो) को प्रवेश मे 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेन्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा।
8. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अति पिछडा वर्ग (MBC) के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यकमो मे जो विहित किये जाये, प्रवेश के लिए पाच प्रतिशत आरक्षण देय होगा। अति पिछडा वर्ग (MBC) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ स्केन कर अपलोड करना आवश्यक हैं, अन्यथा अभ्यार्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नही होगा। (उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।)
9. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना कमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए–II/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यार्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजो के साथ स्केन कर अपलोड करना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यार्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नही होगा। (उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।)
10. **विज्ञप्ति के क्र.सं. E में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा कम संख्या एफ के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित विशेषयोग्यजन अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर प्रशिक्षण की सीटों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।**

(G) आवेदन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) से निर्धारित शुल्क जमा करा सकते है। जिसकी रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त होगी।
2. ई–मित्र जो राजस्थान सरकार से अधिकृत हो के माध्यम से शुल्क जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर लेवे।
3. आवेदन शुल्क स्ट्रक्चर

माध्यम	एससी/एसटी	सामान्य/ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस
ई–मित्र	शुल्क 100/–	शुल्क 200/–
पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड)	शुल्क 100/–	शुल्क 200/–
पेमेन्ट गेटवे (नेट बैकिग)	शुल्क 100/–	शुल्क 200/–

4. ऑनलाईन आवेदन भरे जाने हेतु ई–मित्र तथा बैंक एवं पेमेन्ट गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नैट बैकिग) द्वारा लिये जाने वाला फीस के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क आवेदनकर्ता को अलग से देना होगा।
5. आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन शुल्क राशि किसी भी परिस्थिति मे वापस नही लोटायी जायेगी।

(H) आवेदन करने की प्रकिया :–

1. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) दिनांक 16.09.2019 से भरे जायेंगे। जिन्हे विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30.09.2019 (मध्यरात्रि) निर्धारित है। अभ्यर्थी अन्तिम तिथी को साय: 5:00 बजे तक ई–मित्र/सीएससी नेटवर्क के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करा सकेंगे तथा मध्यरात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन भरे जा सकेंगे।
2. आवेदन शुल्क व आनलाईन आवेदन पत्र भरने के निर्धारित शुल्क की राशि ई–मित्र एवं पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से स्वीकार्य की जावेगी।

3. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क ई–मित्र के माध्यम से जमा करा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा कराते समय अभ्यर्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति वर्ग, श्रेणी, जन्म तिथि, मूल निवास आदि का वर्णन सादा पेपर पर अंकित करई–मित्र पर प्रस्तुत करेगा। जिस माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराया जा रहा है वहां से उसकी जमा रसीद/**Acknowledgement** प्राप्त कर लेवें।

4. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र मे फोटो अपलोड करने के लिए अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ ई–मित्र/कियोस्क पर साथ लेकर जावे। (अनुबंधित संस्था के **द्वारा दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)**

5. अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। **(अनुबंधित संस्था के द्वारा दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)**

6. जाति प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। **(अनुबंधित संस्था के द्वारा दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)**

7. जन्म तिथि हेतु सैकेण्डरी अथवा समकक्ष (राजस्थान बोर्ड से मान्यतानुसार) की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। **(अनुबंधित संस्था के द्वारा दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)**

8. सीनियर सैकेण्डरी/समकक्ष (राजस्थान बोर्ड से मान्यतानुसार) की अंकतालिका स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। **(अनुबंधित संस्था के द्वारा दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)**

9. यदि निशक्तजन है तो सक्षम स्तर से जारी संबंधित प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निःशक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नही होना चाहिए। **(अनुबंधित संस्था के द्वारा दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)**

10. विभागीय कर्मचारी (नियमित/स्थायी) जो इस प्रशिक्षण हेतु अपना आवेदन कर रहा है, वह अपने नियंत्रण अधिकारी से 5 वर्ष की नियमित सेवाओ का प्रमाण पत्र प्रपत्र 'स' में प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ स्केन करवा कर अपलोड करेगा। (अनुबंधित संस्था के **द्वारा दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)**

11. आवेदक द्वारा अपलोड कराने हेतु प्रस्तुत फोटा, स्केन हस्ताक्षर आवश्यक दस्तावेज (सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी की अंकतालिका) स्वयं द्वारा जाच लिये जावे कि समस्त दस्तावेज स्वयं के हैं और सही हैं।

12. यदि सूचना में कोई परिवर्तन करना हो तो सबमिट बटन दबाने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि, जो सूचना अंकित की गई है वह पूर्णतः सत्य एवं समुचित है।

13. आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग की अनुमति नही है। अभ्यर्थी विशेष रूप से यह नोट कर ले, कि आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद मे दर्ज विवरण ही ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्वतः दर्ज हो जावेगी।

14. **आवेदक आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रिन्ट आउट (हार्ड कॉपी) डाउनलोड कर लेवे तथा उसे अपने पास सुरक्षित रखे। ताकि विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सके। आवेदक को आवेदन से संबंधित कोई भी दस्तावेज कार्यालय में ऑफलाईन भेजने की आवश्यकता नही है।**

15. अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के उपरान्त उन्हे आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक उपलब्ध नही होता है तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र जमा (सबमिट) नही हुआ है।

16. **ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2019 से निर्धारित अन्तिम तिथि 30.09.2019 (मध्यरात्रि) तक भरे जा सकेंगे।** इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। (विभाग को विशेष परिस्थितियो में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।)

नोट :–

1. ऑनलाईन आवेदन मे सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** से डाउनलोड कर उसे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व हाथ से भर ले, ताकि आवेदन पत्र मे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र मे वांछित समस्त सूचना अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही रद्द हो जावेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
3. ऑनलाईन ओवदन मे गलत या अपूर्ण सूचना के सुधार हेतु विभाग द्वारा कोई प्रार्थना पत्र/पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जावेगा।

4. जानबूझ कर भ्रामक सूचना देने अथवा कूटरचित दस्तावेत प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करने के साथ -- साथ उसके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी जिस श्रेणी/वर्ग के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी/वर्ग म ही आवेदन प्रस्तुत करे।

(I) फीस :–

"राजकीय स्कूल्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिग के पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180/– वार्षिक फीस राशि एवं **निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु फीस पेटे 10,000/– रूपये अग्रिम राशि, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में** पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक **(जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है।** प्रवेश हो जाने पर फीस की शेष राशि आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति के समय मूल दस्तावेजो के साथ जमा करानी होगी। इस आशय का एक शपथ पत्र भी प्रवेशार्थी/प्रवेशार्थी के संरक्षक द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि राजकीय निर्णय अनुसार फीस शुल्क मे जो वृद्धि की जावेगी, उस शुल्क के अन्तर की राशि उसके द्वारा जमा करा दी जावेगी।

निजी क्षेत्र मे संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 50,000/– (अक्षरे रूपये पचास हजार) वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास (निवास की स्थिति मे) शुल्क के रूप में सिंगल बैडेड रूम रूपये 15,000/– अधिकतम, डबल बैडेड रूम रूपये 12,000/– अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रूम रूपये 10,000/– अधिकतम निर्धारित है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019–20
में प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारुप

प्रपत्र – अ

स्वयं का पासपोर्ट साईज का हस्ताक्षरित फोटो स्केन कर अपालोड करें।

कृपया अपने से सबंधित बॉक्स पर (✓) का चिन्ह अंकित करे।

1. सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय (फैकल्टी)
   साईन्स (बॉयलोजी ग्रुप) ( ) अन्य विषय ग्रुप ( )
   (उत्तीर्ण परीक्षा की अकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
2. आवेदक का वर्ग :– महिला ( ) पुरुष( )
3. अभ्यर्थी का जाति वर्ग
   सामान्य ( ) अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जनजाति ( )
   अन्य पिछडी जाति ( ) टीएसपी (एस.टी) ( ) टीएसपी (एस.सी) ( )
   टीएसपी (सामान्य) ( ) सहरिया ( ) अति पिछडा वर्ग (MBC) ( )
   आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)( )
   (जाति प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
4. क्या अभ्यर्थी नि.शक्तजन (ओ.एल) श्रेणी मे प्रवेश का पात्र है :– हां ( ) नही ( )
   (केवल एक पैर 40 प्रशित या उससे अधिक की नि.शक्तता वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
5. यदि विभागीय राज्य कर्मचारी है तो किस श्रेणी में पात्रता रखता है :–
   महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) अन्य कर्मचारी ( )
   (आवेदन पत्र का भाग "स" भरना अनिवार्य है। इसके अभाव मे आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य होगा। प्रशासनिक अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
6. आवेदन शुल्क की रसीद नम्बर .... दिनांक .... राशि (रुपये ....)

प्रपत्र – ब

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
2. पिता का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरो मे) ....
3. पति का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
4. जन्म तिथि ..../........../................
   (दसवी की अकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
5. दिनांक 31.12.2019 को आयु वर्ष ..... माह ... दिन ...
6. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.स.	सीनियर सैकेण्डरी या समकक्ष	बोर्ड/ विवविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्राप्ताको का प्रतिशत

7. वर्तमान पता ....
   .... जिला .... राज्य ....
8. स्थायी पता ....
   .... जिला .... राज्य ....
9. मोबाईल न. ....

हस्ताक्षर आवेदक

प्रपत्र -- स

(केवल विभागीय कर्मचारियो के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी ....
2. पदनाम .... महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) अन्य कर्मचारी ( )
3. **संवर्ग में नियमित नियुक्ति तिथि** ....
4. वर्तमान पदस्थापन स्थान ....
5. जन्म दिनाक ....*/*......../.. .. ..

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी ने विभाग में पांच वर्ष की नियमित (स्थायी) सेवा पूर्ण कर ली है।

हस्ताक्षर
(नियंत्रण/प्रशासनिक अधिकारी)
मय कार्यालय मोहर

प्रपत्र – द घोषणा

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी मे पूर्णत सत्य है, तथा मैने कोई तथ्य छिपाया नही है। मेरे द्वारा दिये गये विवरण असत्य/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक पाये जाने पर मेरा आवेदन/प्रवेश निरस्त किया जा कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग स्वतन्त्र रहेगा।

संलग्न :– प्रमाणित प्रतिलिपि का विवरण :–

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :– आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र स्पष्ट/पूर्ण रुप से भरा हुआ तथा स्व–हस्तारक्षित होना आवश्यक है। अहस्तारक्षित आवेदन पत्र निरस्तनीय होगा।